(ख) प्रवासी श्रमिकों की समस्या की सूचना प्राप्त होने पर, शांति एवं न्याय समिति संबंधित विभागों से परामर्श कर उनकी समस्या के समाधान का प्रयास करेगी।

(ग) ग्राम सभा यह सुनिशिचत करने का प्रयास करेगी कि शासन द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रारंभ की गई योजनाओं, कानूनी प्रावधान, विधिक सहायता आदि का अधिकतम लाभ श्रमिकों को प्राप्त हो.-

(3) कार्यानुसार मजदूरी निर्धारण.-

(क) नियत मजदूरी दर को गांव में सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा;

(ख) यदि किसी संस्था अथवा निजी व्यक्ति द्वारा अनुबंधित मजदूरी दर अथवा व्यक्ति के श्रम क्षमता से कम दर पर अनुबंध किया जाता है या न्यूनतम मजूदरी से कम दर पर भुगतान किया जाता है, तो इसकी शिकायत प्राप्त होने पर शांति एवं न्याय समिति कार्रवाई करेगी ।

अध्याय-नौ
गौण वनोपज

25. गौण वनोपज का परंपरागत प्रबंधन.-

(1) अनुसूचित वन क्षेत्रों में शासकीय वनों के संवहनीय एवं परंपरागत प्रबंधन हेतु ग्राम सभा द्वारा अपने सदस्यों में से वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति का गठन किया जा सकेगा:

परन्तु इसका आशय यह नहीं होगा कि वनभूमि ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में निहित हो गई है।

(2) उक्त समिति गौण वनोपज के प्रबंधन हेतु एक सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार कर सकेगी एवं ग्राम सभा ऐसी योजना तैयार करने हेतु वन विभाग से परामर्श ले सकेगी।

(3) ग्राम सभा सूक्ष्म प्रबंध योजना के जरिए गौण वनोपज का समुचित दोहन तथा जैवविविधता व जैविक स्त्रोतों का रक्षण व संवर्धन कर सकेगी।

(4) गौण वनोपज की मात्रा संगणित होने की स्थिति में ग्राम सभा परंपरा से गौण वनोपज संग्रहण करने वाले ग्रामीणों से भिन्न अन्य लोगों के लिए वनोपज का संग्रहण प्रतिबंधित अथवा चक्रीय व्यवस्था या आर्थिक रूप से कमजोर और भूमिहीन परिवार को संग्रहण करने के लिए अधिकृत कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा जिसका वनाधिकार धारकों के व्यक्तिगत या सामूहिक अधिकार पर विपरीत प्रभाव पड़े।

(5) गौण वनोपज का निपटान से आशय अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2012 के नियम 2(1)(घ) में वर्णित अनुसार होगा।

26. **गौण वनोपज संबंधित अधिकार.-**

(1) पारंपरिक रूप से लघु वनोपज का संग्रहण, स्वामित्व तथा प्रबंधन, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ग) के अनुसार होगा।

(2) ग्राम सभा अपने क्षेत्र के भीतर स्वयं या नियम 25 के अधीन गठित समिति या शासन द्वारा गठित किसी भी एजेंसी या समूह के माध्यम से गौण वनोपजों का संग्रहण एवं विपणन कर सकेगी।

(3) एक या एक से अधिक ग्राम सभा चाहे तो संयुक्त रूप से वन विभाग के परामर्श से वनोपज की खरीदी एवं बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर सकेगी। ग्राम सभा ऐसे न्यूनतम मूल्य पर क्रय तथा उसके निपटान की व्यवस्था वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति के माध्यम से करेगी।

(4) तेंदूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के माध्यम से कराया जाएगा, तथापि ग्राम सभा चाहे तो तेंदूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन स्वयं कर सकेगी बशर्ते ग्राम सभा इस बाबत् संबंधित संग्रहण वर्ष के पूर्व वर्ष में 15 दिसम्बर तक इस हेतु संकल्प पारित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत करवाये।

27. ग्राम सभा के कर्तव्य.- ग्राम सभा निम्न कर्तव्यों का निर्वहन करेगी-

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल